[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 30/2018- सीमाशुल्क (गै.टे)

नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ.).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात पर संतुष्ट होने पर कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5310 और 6305 के तहत आने वाले जूट उत्पादों, जब इनका 17 जुलाई, 2015 से 15 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान नेपाल से आयात किया गया था, पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके पश्चात अतिरिक्त शुल्क के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क की गैर-लेवी एक सामान्य परिपाटी थी, एतदद्वारा निदेश देती है कि उन पर लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी को उक्त परिपाटी के सिवाय, उक्त वस्तुओं के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा.सं. 550/06/2015-एलसी]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार